सेवामें,

18/10/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
94/2022	18-02-2022	18.10.2022

उनवान

01. विनयपाल सिंह पुत्र श्री रामौतार जाति अहीर निवासी असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
———:: वादी

(ब ना ग)

01. रामोतार पुत्र सुलतान जाति अहीर निवासी असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
———:: असल प्रतिवादी

02. अजयपाल यादव पुत्र रामौतार जाति अहीर निवासी असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
———:: तरतीवी प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवागी
अन्तर्गत धारा 88, 89 वो 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: संशोधित निर्णय ::—

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 0.33 है0 का 1/32 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 428 रकबा 0.19 है0 का 2/35 हिस्सा जो पूर्वजों से प्राप्त आराजीयात हाल राजस्व रिकार्ड में मिन वादी के पिता असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। आराजीयात मिन वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी के पिता असल प्रतिवादी के नाम दर्ज हाल राजस्व रिकार्ड खातेदारी की आराजी है, जो आराजी मिन वादी, तरतीवी प्रतिवादी व असल प्रतिवादी को अपने पूर्वजों से जरिये इंतकाल संख्या 479 से विरासत में प्राप्त हुई है, जिस पर मिन वादी, तरतीवी प्रतिवादी व असल प्रतिवादी काबिज व दाखिल है। मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी, असल प्रतिवादी के विधिक एवं जायज वारिस है। विवादित आराजी में मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी का 1/4, 1/4 हिस्सा हिस्सा हिन्दू परिवार की एनसेस्ट्रल प्रोपर्टी है, जिसमें मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी का बाई वर्थ ऑफ लॉ हक हकूक प्राप्त है, जो विवादित आराजी मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी की दादालाई आराजी है। मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी जन्म से ही विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से की आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। असल प्रतिवादी जो कि दीगर लोगों के बहकावे में चलता है तथा बिना परिवार की जरूत के व बिना सहमति के उक्त विवादित आराजीयात को दीगर जगह बेचान व खुर्द बुर्द करने तथा मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी को पूर्वजो से प्राप्त विवादित आराजी से बेदखल करने की जुस्तजू में है, जिसका कि असल प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है, क्योकि विवादित दादालाई आराजी में असल प्रतिवादी को भांति ही मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी का हिस्सा व हक हकूक निहित है। मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादी अपनी दादालाई की उक्त विवादित आराजी पर काबिज व

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

वाबे,

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

, है एवं मौके पर वास्तविक कब्जा है। विवादित आराजी का मात्र राजस्व रिकार्ड में असल प्रतिवादी अंकन है। वादी, असल प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है मिन वादी अपने पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई त विवादित आराजी में अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु असल प्रतिवादी, मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी को विवादित आराजी से बेदखल करने पर उतारू है, जिसका कि असल प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए मिन वादी अपने पूर्वजो से प्राप्त वाके ग्राम असालीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 0.33 है0 का 1/32 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 428 रकबा 0.19 है0 का 2/35 हिस्सा जिस समस्त विवादित आराजीयात में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी का बाई वर्श 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है, के मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी काबिज खातेदार काश्तकार है तथा इसी कदर अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित कराने व इसी कदर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का खातेदार काश्तकार का अंकन कराने के अधिकारी है, जिसके लिए मिन वादी को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी दायर करना लाजिम आया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। असल प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी व असल प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हम पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है जरिये राजीनामा से उक्त वाद को डिक्री फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया। प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम असालीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 0.33 है0 का 1/32 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 428 रकबा 0.19 है0 का 2/35 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से 1/4 भाग का वादी तथा 1/4 भाग का तरतीबी प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

FOR COPYING FEES ONLY

Reader
18/10/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
94 / 2022	18-02-2022	

उनवान

01. विनयपाल सिंह पुत्र श्री रामौतार जाति अहीर निवासी असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
————:: वादी

(ब ना म)

01. रामोतार पुत्र सुलतान जाति अहीर निवासी असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
————:: असल प्रतिवादीगण

02. अजयपाल यादव पुत्र रामौतार जाति अहीर निवासी असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
————:: तरतीबी प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 वो 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
-:: संशोधित पर्चा डिक्री ::-

वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 0.33 है0 का 1/32 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 428 रकबा 0.19 है0 का 2/35 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से 1/4 भाग का वादी तथा 1/4 भाग का तरतीबी प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज.